FORM NO. II
फर्द अहकाम
(नियम 26)

2024/3

# अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर (राज0)

अपील संख्या 03/2024 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट
उनवान– नन्दकिशोर बनाम तहसीलदार बौंली

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 04.01.2024 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। अभिभाषक अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना गया।<br>दौराने बहस अपीलांट अभिभाषक ने कथन किया कि खसरा नम्बर 23/1/4 मीन ग्राम रवासा तहसील बौंली रकबा 5 बीघा के खातेदार व काबिज काश्तकार है, जिनका मौके पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 79 व 69 है, यह भूमि चरागाह व सरकारी नही है। भू–प्रबन्ध ऑपरेशन के दौरान गलत शीट बनायी गयी है, जिसके आधार पर प्रतिपक्षी हमे हमारी स्वयं की आराजी से बेदखल करने पर अमादा है तथा इसके आधार पर रेस्पो0 जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रकरण दुरूस्ती का है और यदि गलत अंकन के आड में रेस्पो0 हमारी आराजी पर कब्जा करने में सफल हो गये तो हमको अपूर्णीय क्षति होगी किन्तु तहत न्यायालय हमारे प्रार्थना पत्र पर बिना गौर किये ही अस्थायी निषेधाज्ञा मनमाने रूप बिना कारण बताये कोई आदेश पारित नहीं किया और न ही हमारे द्वारा सुनवाई के दौरान किये गये कथनों का विवरण अंकित किया इससे तहत न्यायालय द्वारा हमारे विधिक अधिकारों की रक्षा करने में रूचि नहीं ली इस कारण हमें अपूर्णीय क्षति तो होगी ही वरन अपील करने का उदेदश्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः विनम्र आग्रह है, कि केवल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक ही अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करे, जिससे हमारे विधिक अधिकारों की रक्षा हो सके। | |

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

इस संबंध में अपीलांट द्वारा डी.एन.जे. 2020 रेवेन्यू पेज 71 का उदाहरण दिया। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण में तहत न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिये जाने पर दौराने अपील स्थगन आदेश प्रदान किया है।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.01.2024 का अवलोकन किया जिसमें तहत न्यायालय द्वारा केवल प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाने आदेश किये है। वरवक्त बहस अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट के अपीलमीमों एव उनके प्रस्तुत शपथ पत्र विश्वास करते हुये न्यायहित में प्रकरण तहत न्यायालय को रिमाण्ड करते हुये निर्देश दिये जाते है, कि प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई अपना मत व विवेचन अंकित करते हुये नियमानुसार शीघ्र आवश्यक रूप निस्तारण करे, तब तक प्रश्नगत आराजी से अपीलांट को मौके से बेदखल नहीं करे। आदेश की प्रतिलिपित आज ही तहत न्यायालय को भिजवायी जाये। पत्रावली फैसल शुमार हो।

4/01/2024

उम्मेदीलाल मीना
(आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर

Scanned with CamScanner